न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : धारा सिंह मीना, RAS

अपील संख्या 13/2022

1 मनोज वर्मा पुत्र हनुमान प्रसाद जाति बलाई निवासी ग्राम चला तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 हणमान पुत्र रामचन्द्र।
2 दीपेन्द्र पुत्र सुरज्ञान।
3 प्रहलाद पुत्र रामचन्द्र।
4 मुकेश पुत्र रामचन्द्र।
5 घासीराम पुत्र रामचन्द्र समस्त जाति मीणा निवासीगण नालोठ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।
6 सन्तोष देवी पत्नी पूर्णमल जाति बलाई निवासी बुचारा तहसील कोटपुतली जिला जयपुर।
7 पटवारी हल्का जोरावर नगर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।
8 भूमिधारी जरिये तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर पीठासीन अधिकारी दिलिप सिंह आर.ए.एस बसिलसिले मुकदमा अनुवानी हणमान आदि बनाम सन्तोष अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम मुकदमा नम्बर 27/2021 निर्णय दिनांक 04.03.2022 अपील अ0 धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधि...
सीकर

उपस्थिति :

1. श्री महेन्द्र सिंह, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री बजरंगलाल शर्मा, अधिवक्ता रेस्पोडेंट
3. श्री सोहनलाल चौधरी, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सत्यमेव जयते सीकर

—निर्णय—

दिनांकः— 15-12-22

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर द्वारा मुकदमा नम्बर 27/2021 में पारित निर्णय दिनांक 04.03.2022 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 5 ने अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 6 लगायत 8 के विरूद्व एक प्रार्थना पत्र विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर के समक्ष अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम इस आशय का प्रस्तुत किया कि रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 5 भूमि खसरा नम्बर 268 रकबा 1.04 हैक्टेयर तन ग्राम नालोट पटवार हल्का जोरावर नगर के 1/9 हिस्सा के काबिज काश्तकार है तथा भूमि खसरा नम्बर 272/2 रकबा 0.53 हैक्टेयर तन ग्राम नालोट की रेस्पोडेंट संख्या 6 खातेदार काश्तकार दर्ज राजस्व रिकार्ड है भूमि खसरा नम्बर 268 में आने जाने हेतु रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 5 ने सख्त आवश्यकता बताई और नालोट से कोटड़ी शीमारला जाने वाली मुख्य सड़क गैर मुमकिन रास्ता खसरा नम्बर 277 डामर की सड़क से होता हुआ खसरा नम्बर 272/2 की उतरी सीमा के सहारे सहारे 10 फिट चौड़ाई का रास्ता होना बताया। रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 5 ने उक्त रास्ते को प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शे में दर्शित किया व उक्त रास्ता की सख्त आवश्यता बताकर अपनी खातेदारी की भूमि में कृषि कार्य नही कर सकने व मवेशियान

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
सत्यमेव जयते
सीकर

आदि को ले जाने के लिए तथा कृषि कार्य हेतु ट्रेक्टर ऊंट लड्ढे आदि का आवागमन करने हेतु रास्ते की आवश्यकता बताई तथा उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता अपनी भूमि में आने जाने हेतु नही बताया उक्त रास्ते को ही निकटतम व लघुतम बताया तथा राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में व नक्शे में रास्ते के रूप में दर्ज किए जाने की प्रार्थना की। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सीपीसी के द्वारा रेस्पोडेंट संख्या 6 द्वारा भूमि खसरा नम्बर 272/2 अपीलांट को दिनांक 03.08.2021 को विक्रय किए जाने व इसका विक्रय पत्र उप पंजियक कार्यालय श्रीमाधोपुर के यहां पंजिबद्व होने की वजह से अपीलांट को अप्रार्थी के रूप में पक्षकार संयोजित किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने के बाद विचारण न्यायालय द्वारा अपने किसी भी आदेश के द्वारा मौके की रिपोर्ट मंगाने का कोई आदेश पारित नही किया गया उसके बावजूद भी तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने पत्रांक 709/रीडर/2021 दिनांक 12.07.2021 के द्वारा मौका रिपोर्ट विचारण न्यायालय में भेजी उक्त रिपोर्ट के सम्बंध में बिना कोई आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर दिये बिना दिनांक 21.02.2022 को वकील प्रार्थी द्वारा पी ओ स्वंय द्वारा मौका निरीक्षण किए जाने का निवेदन लिखते हुये दिनांक 04.03.2022 की किसी मौका निरीक्षण हेतु तय की तथा अपीलांट को बिना कोई सूचना दिये बिना दिनांक 04.03.2022 को विचारण न्यायालय द्वारा मौका मुआयना करना बताते हुये उसी दिन अपना निर्णय जैर अपील पारित कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में आवेदक रेस्पोडेंट ने खसरा नम्बर 268 में आवागमन हेतु रास्ता चाहा है। खसरा नम्बर 268 शामलाती खातेदारी की भूमि है। संयुक्त भूमि के सभी खातेदारों द्वारा रास्ते का आवेदन नही किया गया है। विचारण न्यायालय की आदेशिका में विरोधाभाषी तथ्य अंकित है। विचारण न्यायालय की आदेशिका के अनुसार तहसीलदार की रिपोर्ट दिनांक 03.08.2021 को

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
सत्यमेव जयते
सीकर

तहसीलदार श्रीमाधोपुर के पत्रांक 709/रीडर/2021 दिनांक 12.07.2021 से प्राप्त होने का अंकन है जबकि विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 16.06.2021 को पेश किया गया है। इसके उपरान्त 02.07.2021 तारिख पेशी तलबी हेतु दी गई है। 02.07.2021 के बाद दिनांक 16.07.2021 की आदेशिका अंकित है। जिसमें 24.08.2021 तारिख पेशी दी गई है। तत्पश्चात 27.07.2021 की आदेशिका अंकित है। दिनांक 16.06.2021 से 03.08.2021 तक विचारण न्यायालय द्वारा मौका रिपोर्ट मंगवाने का कोई आदेश आदेशिका पर नही है। ऐसी स्थिति में दिनांक 03.08.2021 को तहसीलदार की मौका रिपोर्ट प्राप्त होना संदेहास्पद है। विचारण न्यायालय की आदेशिका दिनांक 21.02.2022 में पीठासीन अधिकारी स्वंय द्वारा मौका निरीक्षण किये जाने का अंकन है किन्तु पत्रावली पर किसी भी प्रकार की मौका रिपोर्ट पीठासीन अधिकारी की तैयार शुद्वा संलग्न नही है। विचारण न्यायालय की आदेशिका दिनांक 04.03.2022 में अप्रार्थीगण द्वारा सहमती दिये जाने का अंकन है किन्तु आदेशिका पर अप्रार्थी संतोष, मनोज वर्मा के हस्ताक्षर अंगुठा निशानी नही है। विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 04.03.2022 को मौका देखा जाना, मौका रिपोर्ट तैयार नही करना, अपीलांट को सूचित किये बिना, अपीलांट की बहस सुने बिना, अपीलांट को आपत्ति का अवसर प्रदान किये बिना दिनांक 04.03.2022 को ही विचाराधीन निर्णय पारित किया गया है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नही माना जा सकता है। अत अपील स्वीकार कर प्रकरण रिमाण्ड किया जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में लाईव लॉ 2022 एस.सी. पेज 802, आर.आर.टी. 2016(2) पेज 1281,आर.आर.टी. 2018–19 पेज 404, आर.आर.टी. 2019 (1) पेज 403 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये है।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि धारा 251ए में सभी सहखातेदार द्वारा आवेदन करना आज्ञापक नही है। तहसीलदार से रिपोर्ट मंगवाने के लिये पत्र विचारण न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र दर्ज होने के दिन ही

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सत्यमेव जयते सीकर

लिख दिया गया था। विचारण न्यायालय के समक्ष मौका रिपोर्ट पर अपीलांट द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नही की गई है। विचारण न्यायालय ने दोनो पक्षों की सहमती से पीठासीन अधिकारी स्वंय द्वारा मौका निरीक्षण किया गया है। दिनांक 04.03.2022 की आदेशिका पर सहमती के हस्ताक्षर करने वाला चौथमल मीणा अपीलांट का रिश्तेदार है। विचारण न्यायालय ने विधिक प्रक्रिया की पालना कर विधि सम्मत रूप से विचाराधीन निर्णय पारित किया है। इसमे कोई विधिक त्रुटि नही है। विचाराधीन निर्णय की पालना में राशि जमा होकर राजस्व रिकार्ड में अमल हो चुका है। अत अपील खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में आवेदक रेस्पोडेंट ने खसरा नम्बर 268 में आवागमन हेतु रास्ता चाहा है। खसरा नम्बर 268 शामलाती खातेदारी की भूमि है। संयुक्त भूमि के सभी खातेदारों द्वारा रास्ते का आवेदन नही किया गया है। विचारण न्यायालय की आदेशिका में विरोधाभाषी तथ्य अंकित है। विचारण न्यायालय की आदेशिका के अनुसार तहसीलदार की रिपोर्ट दिनांक 03.08.2021 को तहसीलदार श्रीमाधोपुर के पत्रांक 709/रीडर/2021 दिनांक 12.07.2021 से प्राप्त होने का अंकन है जबकि विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 16.06.2021 को पेश किया गया है। इसके उपरान्त 02.07.2021 तारिख पेशी तलबी हेतु दी गई है। 02.07.2021 के बाद दिनांक 16.07.2021 की आदेशिका अंकित है। जिसमें 24.08.2021 तारिख पेशी दी गई है। तत्पश्चात 27.07.2021 की आदेशिका अंकित है। दिनांक 16.06.2021 से 03.08.2021 तक विचारण न्यायालय द्वारा मौका रिपोर्ट मंगवाने का कोई आदेश आदेशिका पर नही है। ऐसी स्थिति में दिनांक 03.08.2021 को तहसीलदार की मौका रिपोर्ट प्राप्त होना संदेहास्पद है। विचारण न्यायालय की आदेशिका दिनांक 21.02.2022 में पीठासीन अधिकारी स्वंय द्वारा मौका निरीक्षण किये जाने का अंकन है किन्तु पत्रावली पर किसी भी प्रकार की मौका रिपोर्ट पीठासीन अधिकारी की तैयार

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
सीकर

न्यायालय भू-प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सत्यमेव जयते सीकर

शुद्वा संलग्न नही है। विचारण न्यायालय की आदेशिका दिनांक 04.03.2022 में अप्रार्थीगण द्वारा सहमती दिये जाने का अंकन है किन्तु आदेशिका पर अप्रार्थी संतोष, मनोज वर्मा के हस्ताक्षर अंगुठा निशानी नही है। विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 04.03.2022 को मौका देखा जाना, मौका रिपोर्ट तैयार नही करना, अपीलांट को सूचित किये बिना, अपीलांट की बहस सुने बिना, अपीलांट को आपत्ति का अवसर प्रदान किये बिना दिनांक 04.03.2022 को ही विचाराधीन निर्णय पारित किया गया है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नही माना जा सकता है।

मौका रिपोर्ट के सन्दर्भ में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत आर. आर.टी. 2019 (1) पेज 403 में माननीय राजस्व मण्डल ने अभिनिर्धारित किया है कि " **Rajasthan Tenancy Act, 1955- Section 251A- Providing new way Two conditions are required to be exist- Providing opportunity of being heard to opposite party is mandatory – site report was prepared in absence of the petitioner- No signature of the petitioner on the report – Moka report was prepared by the Halka patwari – No material to show that the S.D.O. inspected the site – Awarding compensation is mandatory – Non- compliance of Rule 70- Held, Order is not sustainable and set aside and case remanded to deide afresh in accordance with law.**

उपरोक्त विवेचन एंव न्यायिक दृष्टांत की रोशनी में अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अपीलांट की उपस्थिति में समक्ष स्तर से पुन मौका रिपोर्ट प्राप्त कर लघुतम एवं वैकल्पिक रास्ते की जांच कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुन विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.01.2023 को उपस्थिति देवें।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

निर्णय आज दिनांक 15-12-22 को सरे इजलास सुनाया गया।

(धारा सिंह मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सत्यमेव जयते सीकर